



2026:AHC:15636

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1871 सन् 2026

कुँवरपाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार शुक्ला, रमेश प्रसाद

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को वापस ले लिए जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को वापस ले लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसी कारण से नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन